

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या- 2002/2016/उदयपुर

2. अपील संख्या- 2003/2016/उदयपुर

3. अपील संख्या- 2004/2016/उदयपुर

4. अपील संख्या- 2005/2016/उदयपुर

5. अपील संख्या- 2006/2016/उदयपुर

6. अपील संख्या- 2007/2016/उदयपुर

मैसर्स कोमल सिंह राजेन्द्रसिंह कोठारी, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी

7. अपील संख्या- 2456/2016/उदयपुर

8. अपील संख्या- 2457/2016/उदयपुर

9. अपील संख्या- 2458/2016/उदयपुर

10. अपील संख्या- 2459/2016/उदयपुर

11. अपील संख्या- 2460/2016/उदयपुर

12. अपील संख्या- 2461/2016/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कोमल सिंह राजेन्द्रसिंह कोठारी, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित ::

व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं

श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक
विभाग की ओर से उपस्थित

दिनांक :11.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा छः अपीलों क्रमशः अपील संख्या 2002/2016 से 2007/2016 विद्वान अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेशों के विरुद्ध पेश की गयी हैं, जिनके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेशों को निर्णय दिनांक 10.05.2016 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की एवं शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण को अपास्त किया है। इसी प्रकार विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों में आरोपित शास्तियों को अपास्त करने के विरुद्ध छः अपीलों क्रमशः अपील संख्या 2456/2016 से 2461/2016 अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।
2. सभी अपीलों में विवादित मुख्य बिन्दु की समानता को दृष्टिगत रखते हुए इनका निस्तारण एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की प्रति सभी अपील पत्रावलियों पर पृथक् से रखी जायेगी।

(Signature)
11/08/17

(Signature)

लगातार.....2.

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी राज्य में एक पंजीकृत व्यवहारी है एवम् जिसके द्वारा राज्य में रेस्टोरेन्ट में OMG नाम से FOOD COURT का व्यवसाय किया जाता है। जिसमें cooked food, fast food वेबरेजेज इत्यादि तैयार किया जाकर ग्राहकों को परोसा जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पिज्जा, बर्गर, ब्राउनी एवं शेक आदि खाद्य वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य नहीं होना अवधारित कर, उक्त के विक्रय पर 14 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित कर, आदेश दिनांक 20.08.2015 पारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के इन आदेशों के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवसायी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अन्तर कर व ब्याज को उचित ठहराया जिनके विरुद्ध निम्न तालिका में वर्णित कर व ब्याज की राशियों को चुनौती देते हुए व्यवसायी द्वारा अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं. व आदेश दिनांक	कर नि. आ. दि	वि. वर्ष	कर	ब्याज
2002/16	141/वेट/15-16	20.08.15	10-11	17,861	10,939
2003/16	142/वेट/15-16	20.08.15	11-12	1,22,969	57,796
2004/16	143/वेट/15-16	20.08.15	12-13	51,391	17,988
2005/16	144/वेट/15-16	20.08.15	13-14	1,07,625	24,755
2006/16	145/वेट/15-16	20.08.15	14-15	49,169	5,419
2007/16	146/वेट/15-16	20.08.15	15-16	5,422	0

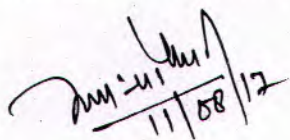
4. कर निर्धारण अधिकारी के इन आदेशों के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवसायी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया। जिनके विरुद्ध निम्न तालिका में वर्णित शास्ति की राशियों को अपास्त किये जाने को विभाग द्वारा चुनौती देते हुए अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है:-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं. व आदेश दिनांक	कर नि. आ. दि	वि. वर्ष	शास्ति
2456/16	141/वेट/15-16	20.08.15	10-11	35,721
2457/16	142/वेट/15-16	20.08.15	11-12	2,45,938
2458/16	143/वेट/15-16	20.08.15	12-13	1,02,782
2459/16	144/वेट/15-16	20.08.15	13-14	2,15,251
2460/16	145/वेट/15-16	20.08.15	14-15	98,338
2461/16	146/वेट/15-16	20.08.15	15-16	10,845

[Handwritten Signature]
11/5/17

[Handwritten Mark]

5. व्यवहारी को बार-बार आवाजे लगवायी गयी किन्तु व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।
6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन किया तथा कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी पर जो करारोपण किया है, वह विधिसम्मत है। सामान्य बोलचाल में "पिज्जा" भोजन की श्रेणी में नहीं आता है। अग्रिम अभिवाक् किया कि कोई भी ग्राहक यदि भोजन की मांग करता है तो उसे "पिज्जा" नहीं परोसा जाता है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि निर्णय मैसर्स अन्नापूर्णा बिस्कुट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को प्रोद्धरित कर कथन किया कि जिस प्रकार सामान्यतः भोजन के लिये बिस्कुट नहीं परोसा जाता है उसी प्रकार "पिज्जा" सामान्य बोलचाल की भाषा में विशिष्ट वस्तु है जिसे भोजन नहीं कहा जा सकता। इस आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत "पिज्जा" अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 के तहत 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल लि० बनाम अतिरिक्त आयुक्त (2013) 36 (RTB) निर्णय दिनांक 08.04.2013 में भी खण्डपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया :- ""पिज्जा" एक विशिष्ट खाद्य पदार्थ है जो कि जनसामान्य के भोजन के रूप में काम नहीं आता है। इसलिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर वर्णित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि के आलोक में, "पिज्जा" भोजन से भिन्न वस्तु होने के कारण वेट अधिनियम की अनुसूची-V के तहत 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 अनुसार "पिज्जा" भले ही रेस्टोरेन्ट में पकाया जाकर विक्रय किया जाता हो "भोजन" की श्रेणी में नहीं होने के कारण उक्त अधिसूचना से आच्छादित नहीं है।" उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त तर्क प्रस्तुत कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को उचित व विधिनुकूल बतलाते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेशों को इस बिन्दु पर अपास्त करने का निवेदन किया एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करते हुए विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दुओं पर प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।
7. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के परिशीलन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा पिज्जा, बर्गर, ब्राउनी एवं शेक आदि खाद्य वस्तुओं पर सामान्य कर दर से कारारोपण किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन रहा है कि पिज्जा एक "cooked food" है तथा पिज्जा वेट अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 100 के अनुसार 5 प्रतिशत से कर योग्य है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह कथन रहा है


11/08/12



कि राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल लि० बनाम अतिरिक्त आयुक्त (2013) 36 (RTB) में पिज्जा को "cooked food" तथा "food cooked in restaurant" की श्रेणी में नहीं मानते हुए इसे सामान्य कर दर से कर योग्य होना अभिनिर्धारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.05.2016 में भी वर्तमान प्रकरणों को मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल लि० से आच्छादित होना अभिनिर्धारित करते हुए पिज्जा, बर्गर, ब्राउनी व शेक आदि खाद्य वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की कर दर न मानकर सामान्य दर से करारोपण किये जाने के कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है।

8. अतः इस संबंध में राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल लि० बनाम अतिरिक्त आयुक्त (2013) 36 (RTB) का यहां उल्लेख किया जाना समीचीन है जिसमें स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि – "Pizza is not covered under "cooked food", Pizza is special type of food and is not used by general public as food and taxable at general rate" इस प्रकार यह सामान्य कर दर से कर योग्य है। पिज्जा, बर्गर, ब्राउनी cooked food की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसमें cooked food का अभिप्राय सामान्य दैनिक घरेलू भोजन से है जो कि पिज्जा, बर्गर, ब्राउनी इत्यादि विशिष्ट खाद्य वस्तु से भिन्न होता है। राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल लि० के मामले में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्तों – (i). माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कमिशनर ऑफ सेल्स टैक्स बनाम बल्लभदास ईश्वरदास (1968) 21 एस.टी.सी.309 में "Cooked Food" के संदर्भ में, (ii). माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सरकार बनाम आजाद बेकरी व अन्य निर्णय दिनांक 19.10.1976 डब्ल्यू.एल.एन. यूसी 539 (iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एआईआर 1952 एस.सी. 335 स्टेट ऑफ बाम्बे बनाम वीरकुमार गुलाबचन्दशाह में परिभाषित Food Stuff, Food के आधार पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (1971) 27 एस.टी.सी. 170 में कॉमन पारलेंस (Common Parlance) के सिद्धान्त सहित उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलम्ब लेते हुए निर्णय पारित किया गया।

9. मैसर्स देवयानी के मामले में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त कॉमन पारलेंस टेस्ट को अमल में लाने पर स्पष्ट हो जाता है कि "पिज्जा" भोजन नहीं है बल्कि एक विशिष्ट खाद्य वस्तु है एवम् इसी कारण विधायिका द्वारा "पिज्जा ब्रेड" को सामान्य "ब्रेड" से अलग करते हुये कर योग्य घोषित किया है जो कि अधिनियम के तहत जारी अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-100 से आच्छादित है। अतः यह पीठ यह अवधारित करती है कि "पिज्जा" एक विशिष्ट वस्तु है जो "भोजन" की श्रेणी में नहीं आता है, भले ही High

लगातार.....5.

Amrinder Singh
11/08/17

JK

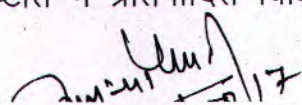
Calorie युक्त है एवम् उक्त अधिनियम की अनुसूची-V के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल लि० बनाम अतिरिक्त आयुक्त (2013) 36 (RTB) के मामले में इस बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि पिज्जा भोजन नहीं होने के कारण चाहे उसे रेस्टोरेन्ट में पकाया जाकर सर्व/परोसा जाये तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता।

10. राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल के मामले में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत "पिज्जा" राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 से आच्छादित नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया। जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अध्ययन करना समीचीन होगा, जिसका मूल पठन इस प्रकार है :-

अधिसूचना दिनांक 09.03.2010:- "In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from tax payable by a dealer, to the extent the rate of tax exceeds 5 percent, on the sale of food cooked by him and served in the restaurant and hotels below three stars category."

11. इस कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल मामले में व्यवहारी द्वारा बिक्रीत "पिज्जा" सामान्य बोलचाल की भाषा (Common Parlance) में भोजन नहीं माना गया तथा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि चाहे इसे होटल या रेस्टोरेन्ट में पकाया जाये या विक्रय किया जाये तो भी अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 से आच्छादित नहीं होता है।

12. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क कि "पिज्जा ब्रेड" वैट अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-100 के अनुसार 5 प्रतिशत से कर योग्य है तथा "पिज्जा" तैयार करने में बेस पर चीज़, पनीर, सॉस एवम् सब्जियाँ आदि का प्रयोग कर, माईक्रोवेव ओवन में बेक किया जाने से "पिज्जा ब्रेड" की प्रकृति नहीं बदलती है बल्कि "पिज्जा ब्रेड" ही रहती है। इस संबंध में भी मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल मामले में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्यतया "पिज्जा" जो ग्राहकों द्वारा चाहा जाता है वह कच्चा पिज्जा ब्रेड व अन्य सामग्री के साथ पकाये जाने के उपरांत ही खाद्य सामग्री बनता है। "पिज्जा" "पिज्जा ब्रेड" से भिन्न वाणिज्यिक वस्तु है इसलिये अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-100 में शामिल नहीं होने के कारण 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य नहीं हो सकती तथा कॉमन पारलेंस टेस्ट के अनुसार "पिज्जा" भोजन नहीं है इसलिये अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 से आच्छादित नहीं है। इस मामले में खण्डपीठ द्वारा यह भी अवधारित किया गया कि "पिज्जा" एक विशिष्ट खाद्य पदार्थ है जो कि जनसामान्य के भोजन के रूप में काम नहीं आता है। इसलिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आलोक में, "पिज्जा" भोजन से भिन्न वस्तु होने के





:6: अपील सं. 2002/2016 से 2007/2016 तथा 2456/2016 से 2461/2016/उदयपुर

कारण वैट अधिनियम की अनुसूची-V के तहत 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अधिसूचना दिनांक 09.03.2010 अनुसार "पिज्जा" भले ही रेस्टोरेन्ट में पकाया जाकर विक्रय किया जाता हो "भोजन" की श्रेणी में नहीं आने के कारण यह उक्त अधिसूचना से आच्छादित नहीं है।

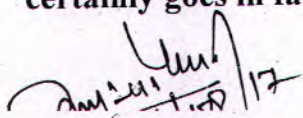
13. वर्तमान में व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2002/2016/उदयपुर लगायत 2007/2016/उदयपुर में विवादित बिन्दु राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल लि० बनाम अतिरिक्त आयुक्त (2013) 36 (RTB) के समान वर्तमान अपीलें मैसर्स देवयानी इन्टरनेशनल में पारित निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है यह खण्डपीठ भी मैसर्स देवयानी में पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत है। अतः यह खण्डपीठ सशक्त अधिकारी द्वारा पिज्जा, खाद्य वस्तु पर सामान्य दर से कर एवं ब्याज विधिनुसार आरोपित किया गया है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज पर प्रस्तुत उक्त अपीलों को अस्वीकार किये जाने योग्य है एवं कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2016 पुष्ट किये जाने योग्य है।

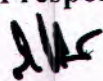
14. शास्ति के बिन्दुओं पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या क्रमशः 2456/2016/उदयपुर लगायत 2461/2016/उदयपुर के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाना समीचीन है :-
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त वा.क.अ., ए.ई., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि. श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी 3 का सम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit or doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."





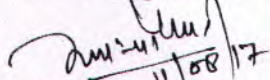
लगातार.....7.

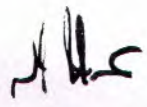
:7: अपील सं. 2002/2016 से 2007/2016 तथा 2456/2016 से 2461/2016/उदयपुर

15. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.05.2016 में अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यवहारी के बिक्री के समस्त समव्यवहार लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज है तथा व्यवहारी द्वारा प्रविष्टियां छिपायी नहीं गयी है। प्राधिकृत अधिकारी के समस्त आंकड़े व्यवहारी के लेखों से ही प्राप्त किये हैं तथा व्यवहारी का दोष अन्यथा सिद्ध नहीं किया गया है। व्यवहारी द्वारा कर की दर को चुनौती दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवेचन के आधार पर व्यवहारी की साशय कर चोरी की मंशा नहीं के आधार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में शास्ति को आपस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में शास्ति को अपास्त किये जाने के निष्कर्ष से यह खण्डपीठ सहमत है। अतः शास्ति को अपास्त किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इस प्रकार शास्ति के बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 10.05.2016 पुष्ट किये जाने योग्य है।

16. परिणामस्वरूप व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2002/2016/उदयपुर लगायत 2007/2016/उदयपुर तथा विभाग/राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2456/2016 लगायत 2461/2016/उदयपुर अस्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.05.2016 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रति समस्त पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जाये।

17. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष